

राजकीय न्यायालय
नीमकाथाना
दिनांक 07/11/25

7/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए निवेदन किया। दोनो पक्षों को अन्तरिम टी.आई. पर सुना गया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि पक्षकारान के हक-अधिकारों का निर्धारण मूल वादपत्र में गुणावगुण के आधार पर किया जाना है। अतः तादौराने फैसल वाद उभय पक्षकारान वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 344 ता 346, 393, 394, 417, 418, 421 ता 423, 427 ता 430, 435, 434 व 424 तन ग्राम नया नगर प0ह0 गोविंदपुरा तहसील नीमकाथाना का बेचान न करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)

उपखण्ड अधिकारी

नीमकाथाना